



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत अर्जी सं. - 5189 वर्ष 2024

मोहम्मद वसीम

...आवेदक(गण)

बनाम

एन सी बी लखनऊ.

....विपक्षी पक्ष

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: : अंजनी कुमार रघुवंशी,
मदनसिंह

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : आशीष पांडे

न्यायालय क्रमांक - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

यह मामला आज न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मदन सिंह को सुना गया और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत यह वर्तमान जमानत अर्जी आवेदक, मोहम्मद वसीम की ओर से दायर की गई है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उन्हें केस अपराध संख्या 24/2021 में जमानत पर रिहा किया जाए। यह मामला स्वपक्ष पदार्थ एवं मदक द्रव्य अधिनियम पदार्थों और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 985 की धारा 8, 20, 29 और 60(3) के तहत, पुलिस थाना- एन सी बी लखनऊ, जिला- वाराणसी में दर्ज है।

यह आवेदक की ओर से दूसरी जमानत अर्जी है। पहली जमानत अर्जी को इस न्यायालय की एक समतुल्य पीठ ने आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या 19382/2023 में, दिनांक 19.05.2023 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि वाहन संख्या यू पी 2 1 सी एन5495 और स्कॉर्पियो वाहन संख्या डी एल4 सीएनबी 2731 से कुल 1056 किलोग्राम गांजा बरामद होने का आरोप है। बताया गया है कि आवेदक ट्रक संख्या यू पी 2 1 सी एन5495 में बैठा था, जिससे 906 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। दूसरी जमानत याचिका लगभग 4-1/2 वर्षों से चल रही लंबी कैद के आधार पर दायर की जा रही है। आवेदक, जो 21.6.2021 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। अपने मामले के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर भरोसा जताया है जो **रबी प्रकाश बनाम ओडिशा राज्य** (विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 4169/2023) मामले में 13.07.2023 को सुनाया गया था।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की अर्जी का विरोध किया है। यह तर्क देते हुए कि आवेदक की बेगुनाही का फैसला मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रतिबंधित सामान की सप्लाई में शामिल है; इसलिए, आवेदक किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा।

मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में मौजूद सबूतों की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर मिलने वाली सजा की गंभीरता, आरोपी-आवेदक के चरित्र, आरोपी से जुड़ी विशेष परिस्थितियों, विचारण के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित होने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ होने की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए—किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मेरा यह मत है कि यह जमानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तदनुसार, ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

उपर्युक्त मामले में आरोपी आवेदक मोहम्मद वसीम को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं:

1. आवेदक, जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक, बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. ज़मानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा, ज़मानत-पत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, पुष्टि की जाएगी।

12 जनवरी, 2026
श्रीवास्तव)

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष